संख्या-39/2019/1745/22-2-2019-17(141)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल ,2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा, निवासी जनपद-थाणे, महाराष्ट्र की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8921/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-28.03.2019) दिनांक-28.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा पुत्र श्री तैय्यव तान्शा, जो निवासी सी-19, परेरा कालोनी रूम नं0-4, नयागॉव तहसील बसदी, जिला-ठाणे, वर्तमान पता रूम नं0-301, थर्ड फ्लोर, जी विंग, वफा हिल अलमास कालोनी कौसा (मुम्ब्रा) पुराना पुणे रोड, जनपद-थाणे, महाराष्ट्र का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 23.10.2002 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कचहरी में असलहों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुरेश पाल ऊर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/2003 भा0द0सं0 की धारा-148, 149, 302, 307, 332 व धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, (आ0व0अधि0) इटावा के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **21**.09.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, थाणे महाराष्ट्र ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी फिरोज तैय्यब तान्शा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने दिनांक 23.10.2002 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कचहरी में असलहों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुरेश पाल ऊर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, छोटा राजन गैंग का सदस्य होने की पुष्टि पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट थाणे द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा पुत्र तैय्यव तान्शा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रकरण में रिट पिटीसन (क्रिमि0) संख्या-49/2018 फिरोज तैय्यव तान्शा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 15.11.2018 के अनुपालन में तथा उपरोक्त् वर्णित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा (बन्दी संख्या-23916) पुत्र श्री तैय्यव तान्शा, निवासी जनपद-थाणे, महाराष्ट्र के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2019/1745(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, थाणे महाराष्ट्र ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागा विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-39/2019/1745/22-2-2019-17(141)/2013

दिनांक 26 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा पुत्र श्री तैय्यव तान्शा, जो निवासी सी-19, परेरा कालोनी रूम नं0-4, नयागॉव तहसील बसदी, जिला-ठाणे, वर्तमान पता रूम नं0-301, थर्ड फ्लोर, जी विंग, वफा हिल अलमास कालोनी कौसा (मुम्ब्रा) पुराना पुणे रोड, जनपद-थाणे, महाराष्ट्र का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 23.10.2002 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कचहरी में असलहों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुरेश पाल ऊर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/2003 भा0द0सं0 की धारा-148, 149, 302, 307, 332 व धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, (आ0व0अधि0) इटावा के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **21**.09.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, थाणे महाराष्ट्र ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी फिरोज तैय्यब तान्शा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने दिनांक 23.10.2002 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कचहरी में असलहों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुरेश पाल ऊर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, छोटा राजन गैंग का सदस्य होने की पुष्टि पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट थाणे द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यव तान्शा पुत्र श्री तैय्यव तान्शा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in